

लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/आई.टी.सेल/आउटसोर्स/149/2020/176

भोपाल, दिनांक 02.03.2021

— आदेश —

वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना क्रमांक 6968-शालाओं का उन्नयन अंतर्गत जेम पोर्टल के माध्यम से उन्नयन की गयी शालाओं में आउटसोर्स पर रखे गये डाटा एन्ट्री आपरेटर्स के मानदेय हेतु विभागीय आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा ईमेल एवं डीडीओबीईओ गुप पर उपलब्ध कराई गई मांग पत्र पर आवश्यक गणना उपरांत राशि आवंटित की जा रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड	आपरेटर्स संख्या	भुगतान की स्थिति (तक)	आवंटित राशि
1	ASHOKNAGAR	ASHOKNAGAR	20	Jan-21	1875600
2	ASHOKNAGAR	MUNGAOLI	14	Jan-21	875280
3	BALAGHAT	BALAGHAT	8	Mar-21	895826
4	BALAGHAT	KHAIRLANJI	7	Mar-21	759908
5	BALAGHAT	KIRNAPUR	9	Mar-21	960066
6	BALAGHAT	LAL BURRA	14	Mar-21	1493436
7	BALAGHAT	WARA SEONI	6	Mar-21	586764
8	BHIND	ATER	6	Mar-21	1063194
9	BHIND	BHIND	18	Mar-21	1739772
10	BHIND	GOHAD	16	Mar-21	2319759
11	BHIND	LAHAR	3	Mar-21	289980
12	BHIND	MEHGAON	17	Mar-21	1643166
13	BHIND	ROUN	9	Mar-21	869940
14	BHOPAL	BERASIA	19	Mar-21	881942
15	BHOPAL	PHANDA	37	Mar-21	1206866
16	CHHATARPUR	LAUNDI	12	Mar-21	981300
17	DATIA	DATIA	26	Dec-20	435071
18	GUNA	CHACHODA	15	Oct-20	1828800
19	GWALIOR	BHITARWAR	2	Mar-21	332040
20	GWALIOR	DABRA	7	Mar-21	796125
21	GWALIOR	GHATIGAON	9	Mar-21	995946
22	GWALIOR	MORAR	20	Mar-21	2391763
23	HOSHANGABAD	HOSHANGABAD	14	Sep-21	355320
24	HOSHANGABAD	PIPARIYA	3	Oct-20	196610
25	JABALPUR	JABALPUR	19	Mar-21	1681842
26	JABALPUR	PANAGAR	9	Nov-20	132799
27	JABALPUR	PATAN	6	Nov-20	177080
28	KATNI	BAHORIBAND	6	Oct-20	60175
29	KATNI	DHEEMAR KHEDA	5	Oct-20	50144
30	KATNI	KATNI	8	Oct-20	213960
31	KATNI	VIJAY RAGHAVGARH	7	Oct-20	70175

निरन्तर -2-

स.क.	जिले का नाम	विकासखण्ड	आपरेटर्स संख्या	भुगतान की स्थिति (तक)	आवंटित राशि
32	KHANDWA	KHANDWA	13	Oct-20	212017
33	NARSINGHPUR	CHAWARPATHA	5	Mar-21	441138
34	NARSINGHPUR	SAIKHEDA	11	Mar-21	971676
35	NEEMUCH	NEEMUCH	9	Jan-21	1205847
36	NIWARI	NIWARI	4	Mar-21	408072
37	NIWARI	PRATHVIPUR	11	Mar-21	1178274
38	PANNA	AJAIGARH	17	Mar-21	1634304
39	PANNA	PAWAI	15	Oct-20	269085
40	RATLAM	ALOT	16	Mar-21	933668
41	RATLAM	RATLAM	26	Mar-21	2278814
42	SAGAR	BANDA	6	Jan-21	242644
43	SAGAR	MALTHON	10	Dec-20	409290
44	SAGAR	SHAHGARH	11	Dec-20	319661
45	SATNA	MAJHGAWAN	18	Mar-21	1627650
46	SATNA	RAMPUR BAGHELAN	14	Oct-20	423308
47	SATNA	UNCHERA	11	Oct-20	236551
48	SEHORE	NASRULLAGANJ	26	Mar-21	2276040
49	SHEOPUR	VIJAYPUR	11	Oct-20	197322
50	SHIVPURI	POHRI	19	Mar-21	2044974
51	SINGRAULI	CHITARANGI	14	Mar-21	1369956
52	SINGRAULI	DEOSAR	13	Mar-21	1696136
53	SINGRAULI	WAIDHAN	21	Mar-21	2054934
54	UJJAIN	BARNAGAR	10	Oct-20	99336
55	UJJAIN	KHACHROD	10	Oct-20	140900
56	UJJAIN	MAHIDPUR	10	Oct-20	94333
57	UJJAIN	TARANA	5	Oct-20	33440
58	UJJAIN	UJJAIN URBAN	14	Oct-20	122212
59	VIDISHA	BASODA	13	Oct-20	230468
60	VIDISHA	SIRONJ	13	Oct-20	1382940
61	VIDISHA	KURWAI	5	Oct-20	99462
62	DHAR	BADNAWAR	6	Mar-21	587112
योग -			723		53382213

उपरोक्त आवंटन बजट शीर्ष 40-2202-02-109-0101-6968-31-004 मद में उपलब्ध आवंटन से दिया जा रहा है। यह राशि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के डी.डी.ओ. कोड में उपलब्ध कराई जा रही है।

निरन्तर -3-



भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित करने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का होगा कि :-

1. जुलाई 2013 के पश्चात स्वीकृत उन्नयन विद्यालयों के लिये ही डाटा एन्ट्री आपरेटर का प्रावधान है, अतः यह सुनिश्चित करें कि इस अवधि में स्वीकृत विद्यालयों की संख्या से अधिक आपरेटर का भुगतान नहीं हो रहा हो।
2. आउटसोर्स पर रखे गए डाटा एंट्री आपरेटर म.प्र. भंडार कय नियमों के अनुसार रखे गए हों।
3. जिस अवधि का अनुबंध है, उसी अवधि का भुगतान किया जा रहा है। अनुबंध अवधि समाप्त हो जाने अथवा नवीनीकरण न होने वाली अवधि का भुगतान वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।
4. त्रुटिपूर्ण भुगतान के लिए आहरण संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
5. संबंधित आपरेटर्स का जिस अवधि का भुगतान किया जा रहा है, उसने क्या कार्य किया गया है उसका प्रमाणीकरण कार्य लेने वाले विहित अधिकारी द्वारा किया गया हो।
6. पूर्व में एजेंसी को डाटा एंट्री आपरेटर के मानदेय हेतु किए गए भुगतान का प्रमाण आरटीजीएस (जिसमें एजेंसी द्वारा संबंधितों के खाते में राशि प्रदान की हो) प्राप्त हो गया हो तथा उससे राशि का मिलान कर लिया गया है।
7. पूर्व में यदि जीएसटी का भुगतान किया गया हो तो संबंधित से जीएसटी जमा करने का प्रमाण (चालान इत्यादि) प्राप्त कर लिया गया हो।
8. नियमानुसार EPF एवं ESIC की राशि संबंधित संस्था में जमा की जा रही है अथवा नहीं, की पुष्टि की जाये।
9. भुगतान के उपरांत संलग्न प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र भुगतान से 7 दिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. यदि किसी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त आवंटित राशि या किसी अंश का व्यय किया जाना संभव नहीं हो तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)



(संजय कुमार)
संयुक्त संचालक वित्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पु.क्रमांक/आई.टी.सेल/आउटसोर्स/149/2020/177
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 02.03.2021

1. प्रधानमहालेखाकार म.प्र. ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव वित्त विभाग म.प्र. शासन वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन वल्लभ भवन भोपाल।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा पर्यावास भवन भोपाल म.प्र.।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
7. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
8. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।



संयुक्त संचालक वित्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आदेश क्रमांक दिनांक..... में दिये गये निम्नानुसार निर्देशों का पालन करते हुये आउटसोर्स पर कार्यरत डाटा एंट्री आपरेटर के मानदेय हेतु आउटसोर्स एजेन्सी को राशि रु..... का भुगतान किया गया है—

1. जुलाई 2013 के पश्चात स्वीकृत उन्नयन विद्यालयों के लिये ही डाटा एन्ट्री आपरेटर का प्रावधान है, अतः इस अवधि में स्वीकृत विद्यालयों की संख्या से अधिक आपरेटर का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आउटसोर्स पर डाटा एंट्री आपरेटर म.प्र. भंडार कय नियमों के अनुसार ही रखे गए हैं।
3. जिस अवधि का अनुबंध है, उसी अवधि का भुगतान किया जा रहा है। अनुबंध अवधि समाप्त हो जाने अथवा नवीनीकरण न होने वाली अवधि का भुगतान वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।
4. त्रुटिपूर्ण भुगतान के लिए आहरण संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
5. संबंधित आपरेटर्स का जिस अवधि का भुगतान किया जा रहा है, उसने क्या कार्य किया गया है उसका प्रमाणीकरण कार्य लेने वाले विहित अधिकारी द्वारा किया गया हो।
6. पूर्व में एजेन्सी को डाटा एंट्री आपरेटर के मानदेय हेतु किए गए भुगतान का प्रमाण आरटीजीएस (जिसमें एजेन्सी द्वारा संबंधितों के खाते में राशि प्रदान की हो) प्राप्त हो गया हो तथा उससे राशि का मिलान कर लिया गया है।
7. पूर्व में यदि जीएसटी का भुगतान किया गया हो तो संबंधित से जीएसटी जमा करने का प्रमाण (चालान इत्यादि) प्राप्त कर लिया गया हो।
8. नियमानुसार EPF एवं ESIC की राशि संबंधित संस्था में जमा की जा रही है अथवा नहीं, की पुष्टि की जाये।

कुल प्राप्त राशि में से राशि रु..... का भुगतान किया गया है तथा राशि रु..... शेष उपलब्ध है। आउटसोर्स एजेन्सी से डाटा एंट्री आपरेटर हेतु किये गये अनुबंध की अवधि दिनांक से तक है।

हस्ताक्षर एवं सील